न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/20

राजाराम आत्मज श्री सुखदेव जाति गुर्जर निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी । ———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 14.02.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2002 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, नैनवा ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 का प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी राजाराम आत्मज श्री सुखदेव जाति गुर्जर निवासी देई तहसील नैनवा जिला बून्दी को दिनांक 03.07.1999 को ग्राम देई तहसील नैनवा की आराजी खसरा नम्बर 870 रकबा 3.07 बीघा भूमि आवंटित की गई थी । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है अतः उक्त आवंटन को निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.11.2002 के द्वारा आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 03.07.1999 निरस्त कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2002 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

ान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना त्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने वकील साहब की नियुक्ति कर रखी थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आवश्यकता होने पर उसे सूचित कर दिया जावेगा परन्तु उनके अभिभाषक द्वारा कोई सूचना आदि नहीं दी गई और न ही उनके अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.01.2015 को पटवारी हल्का द्वारा भूमि पर से कब्जा छोडने की बात कहने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायाल हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट को नियमानुसार आवंटन की पूर्ण कानूनी प्रकिया अपनाकर उक्त भूमि पर आवंटन के बाद कब्जा दिया गया था तब से अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आवंटन निरस्त कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2002 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के भी कोई संतोषप्रद कारण दर्शित नहीं किये हैं । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में माननयी राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2002 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी और अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में ही पारित किया है । अपीलान्ट के पक्ष में उक्त आवंटन वर्ष 1999 का है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । इस प्रकार

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को नस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2002 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे । पक्षकारान दिनांक 28.03.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा